न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म.प्र.

109

प्रकरण क्रमांक :2012 निगरानी — 1062-I/12

मुन्नीबाई पत्नी रमेश चंद पुत्र वैश्य

मुख्त्यारआम रमेशचंद वैश्य निवासी

पाली रोड, श्योपुर ...... निगरानीकर्ता

श्री ए० के० सिंघल अधि० द्वारा आज दि. 23-4-12 को प्रस्तुत
23-4-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर

श्योपुर जिला श्योपुर

तहसील श्योपुर .... रेस्पोडेन्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व सहिता

विरूद्व आदेश दिनांक 20.3.2012 पारित न्यायालय कलेक्टर जिला

श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 01/2011.12 सी 129 व उन्वान मुन्नीबाई

ब्नाम वक्फ मजार से दुखित होकर.

श्रीमान जी

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

1. यह कि, तहसील श्योपुर कला के ग्राम मठेपुरा मे स्थ्ति विवादित भूमि सर्वे क. 27 /3 27 /8 के सबध में अपर कलेक्टर श्योपुर कला द्वारा विवादित भूमि को आदेश दिनाक 3.7.95 द्वारा सर्वे क 27 मजार शाह मठेशाह ईमारत पुख्ता वाके देर व हेतमाम भूरा शाह पुत्र पीरा शाह जाति मुसलमान साकिन देह माफी धरमाजा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने निरस्त कर दी। जिसके विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष अपील 405/2/2007 प्रस्तुत की गई।

2. यह कि उक्त समस्त तथ्यो को विचार मे लेकर अपील का निराकरण आदेश दिनाक 4.9.2009 के द्वारा निराकरण किया।

3. यह कि उक्त आदेश के द्वारा न्याालय श्रीमान द्वारा अपर आयुक्त एवं अपर कलेक्टर के आदेश विवादित भूमि की सीमा तक निरस्त करके अपर कलेक्टर को प्रकरण इस निर्देश के साथि वापस किया कि वे प्रार्थी को सुनवाई कर अवसर

R-1062-I/12

17-4-18 आवेदक अधि० ए.के. सिंह/नि को एवं आवेदक को समय-समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं हुआ। उप० न होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

ह० अस्पष्ट